संख्या-581/2023/आई/378421/41-1001(001)/1/2022

प्रेषक,

अश्विनी कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ:: दिनांक 30 अगस्त, 2023**

विषय:- उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद में पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4594/6-1-1(1481)/2022-23 दिनांक 23.09.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद के कार्यो के सुचारू संचालन हेतु 07 श्रेणी के कुल 11 पदों के सृजन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद के कार्यो के सुचारू संचालन हेतु निम्नवत् कुल 10 पदों का सृजन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र 0	सृजित पद	वेतनमान	ग्रेड वेतन	सृजित पदों की सख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए0डी0एम0 रैंक)	-	-	01	सृजित पद पर शासन द्वारा तैनाती की जायेगी।
2	अधिशाषी अभियन्ता	15,600-39,100	6600 /-	01	प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तैनाती की जायेगी।
3	सहायक अभियन्ता (सिविल)	15,600-39,100	5400 /-	01	पे-पेंशन के सिद्धान्त के आधार पर सेवानिवृत्त व्यक्ति से कार्य लिया जायेगा और वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।
4	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	15,600-39,100	5400 /-	01	पे-पेंशन के सिद्धान्त के आधार पर सेवानिवृत्त व्यक्ति से कार्य लिया जायेगा और वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।
5	लेखाकर	9300-34800	4200/-	01	पे-पेंशन के सिद्धान्त के आधार पर सेवानिवृत्त व्यक्ति से कार्य लिया जायेगा और वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।
6	आशुलिपिक	5200-20200	2800/-	01	पे-पेंशन के सिद्धान्त के आधार पर सेवानिवृत्त व्यक्ति से कार्य लिया जायेगा और वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

					अनुसार किया जायेगा।
7	कुशल/अकुशल कार्मिक	-	-	04	सेवा प्रदाता के माध्यम से 02 कुशल कार्मिक एवं 02 अकुशल कार्मिक रखे जायेंगे।

3. कृपया प्रकरण में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800 अन्य व्यय-18-उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-7-110/दस-2023-24, दिनांक- 18.08.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है

भवदीय,

(अश्विनी कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
   नियुक्ति विभाग/कार्मिक विभाग/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. मण्डलायुक्त, चित्रकूट धाम।
6. जिलाधिकारी, चित्रकूट।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चित्रकूट तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, चित्रकूट धाम मण्डल चित्रकूट।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।